

254 20 रोग अवकाश के भुनाने पर ऑडिट द्वारा स्पष्टीकरण माँगा जाना।

उपरोक्त में उल्लेखित विषय पर आपके द्वारा लिखित पत्रांक सं. रिपोर्टस/डीपीई/2011-12/814, दिनांक: 7.3.2012 के हवाले से मुझे निर्देशित किया गया है कि—

2. डीपीई ओ.एम. दिनांक: 24.4.1987 के अनुसार, "अवकाश नियमों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से; सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्थापित नीति निर्देशिका के व्यापक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, व्यक्तिगत सार्वजनिक उद्यम द्वारा तैयार किया जाता है"। इस संदर्भ में, दिनांक: 05.08.2005, 10.12.2008 और 26.10.2010 को अवकाश भुगतान प्रकरण के सम्बन्ध में आयोजित डीपीई ओ.एम. का उल्लेख किया जा सकता है। चूंकि सरकारी दिशानिर्देश रोग अवकाश को भुनाने की अनुमति नहीं देता, इसलिए इसे भुनाया नहीं जा सकता। फिर भी, उपार्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश को छुट्टी के भुगतान के लिए विचार किया जा सकता है; 300 दिनों की कुल सीमा तक का एक सेवानिवृत्त विषय। आधी वेतन की छुट्टी के लिए भुगतान की जाने वाली नकद राशि अवकाश वेतन के बराबर होगा जैसा कि आधी वेतन; महंगाई भत्ता सहित के लिए स्वीकार्य है। फिर भी, यह स्पष्ट किया गया है कि उपार्जित अवकाश में कमी को पूरा करने के लिए अर्ध वेतन अवकाश के साथ विनिमय को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(14)/2012—डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 17 जुलाई, 2012)
